

हॉडा एसआईएल पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड

बनाम

आय कर आयुक्त, दिल्ली

नवंबर 26,2007

{एस.एच. कपाडिया और बी. सुदर्शन रेड्डी, जेजे.}

आयकर अधिनियम, 1961-एस.एस. 254(2) और 154-ट्रिब्यूनल द्वारा सुधार, रिकॉर्ड-स्कोप से स्पष्ट अपनी ही गलती स्पष्ट होती है। ट्रिब्यूनल ने मुद्दे पर समन्वय पीठ के फैसले की अनदेखी की और मूल्यांकनकर्ताओं के दावे को खारिज कर दिया, सुधार आवेदन पर देखें तो , ट्रिब्यूनल ने धारा 254(2) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया और अपने पहले के आदेश में सुधार माना गया । ट्रिब्यूनल उचित ठहराया गया। जब ट्रिब्यूनल की गलती, त्रुटि या रिकॉर्ड से स्पष्ट चूक के कारण किसी आदेश से पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है, तो यह ट्रिब्यूनल का कर्तव्य है कि वह इसे सही करे - गलत पक्ष के लिए प्रायश्चित ट्रिब्यूनल द्वारा की गई गलती के लिए यह उसके पहले के आदेश की समीक्षा नहीं है - 'मिसाल का नियम' धारा 254(2) द्वारा नष्ट नहीं किया गया है।

अपीलकर्ता-निर्धारिती, एक विदेशी कंपनी के साथ तकनीकी सहयोग से जनरेटर का निर्माता, ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 ए के तहत बढ़े हुए मूल्यह्रास का दावा किया। राजस्व द्वारा अपील में, ट्रिब्यूनल ने निर्णय पर विचार किए बिना बढ़े हुए मूल्यह्रास के लिए निर्धारिती के दावे को खारिज कर दिया। ट्रिब्यूनल की समन्वय पीठ का हवाला दिया गया और निर्धारिती द्वारा उस पर भरोसा किया गया। निर्धारिती ने ट्रिब्यूनल के आदेश से स्पष्ट गलती के सुधार के लिए धारा 254 (2) के तहत सुधार आवेदन दायर किया। ट्रिब्यूनल ने सुधार आवेदन की अनुमति दे दी। इसलिए, वर्तमान

अपील उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि ट्रिब्यूनल ने, वास्तव में, अपने पहले के आदेश की समीक्षा की थी जो धारा अधिनियम की धारा 254(2) के दायरे से बाहर था।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए कहा कि:

1.1. अभिव्यक्ति "रिकॉर्ड से गलती का सुधार" आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 में होती है। इसे अधिनियम की धारा 254(2) में भी जगह मिलती है। सुधार की शक्ति देने वाली धारा 254(2) को लागू करने के पीछे का उद्देश्य मूल सिद्धांत पर आधारित है कि ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित होने वाले किसी भी पक्ष को, चाहे वह निर्धारिती हो या विभाग, ट्रिब्यूनल द्वारा की गई किसी भी गलती के कारण पीड़ित नहीं होना चाहिए। ट्रिब्यूनल की अंतर्निहित शक्तियों से कोई लेना-देना नहीं है। मौजूदा मामले में, ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश दिनांक 10.9.2003 में सुधार आवेदन की अनुमति देते हुए अपने DICT, Spl. Range 5, New Delhi vs SamtelColor Ltd. हवाला देते हुए बताया कि करदाता द्वारा उसके समक्ष भूलवश वह बड़े हुए मूल्यहास के लिए निर्धारिती के दावे की स्वीकार्यता/स्वीकार्यता के सवाल पर राजस्व द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए उक्त निर्णय लेने से चूक गया। होंडा एस. आई. एल. पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम आय कर आयुक्त, दिल्ली

1.2. "मिसाल का नियम" कानून के शासन में कानूनी निश्चितता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वह सिद्धांत अधिनियम की धारा 254(2) द्वारा नष्ट नहीं किया गया है। जब ट्रिब्यूनल की गलती, त्रुटि या चूक के कारण किसी आदेश से पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है, तो उसे ठीक करना ट्रिब्यूनल का कर्तव्य है। अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पीड़ित पक्ष को उसके द्वारा की गई गलती के लिए प्रायश्चित्त करने का समीक्षा करने की अंतर्निहित शक्ति की अवधारणा से कोई लेना-देना नहीं है। मौजूदा मामले में, ट्रिब्यूनल

को धारा 254(2) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करना उचित था, जब ट्रिब्यूनल को बताया गया कि समन्वय पीठ का निर्णय ट्रिब्यूनल के समक्ष तब रखा गया था जब मूल आदेश पारित किया गया था, लेकिन उसने प्रतिबद्ध किया कि जो सामग्री पहले से ही रिकॉर्ड में थी, उस पर विचार न करने में गलती हुई। ट्रिब्यूनल ने अपनी गलती स्वीकार की, और तदनुसार अपने आदेश में सुधार किया। उच्च न्यायालय का उक्त आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था। अंतर्निहित शक्ति के सिद्धांत या अवधारणा पर ध्यान नहीं दिया गया। इस आधार पर आगे बढ़ना कि यदि पार्टी के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ है, तो कौन सा पूर्वाग्रह ट्रिब्यूनल की गलती, त्रुटि या चूक के कारण है और कौन सी त्रुटि एक स्पष्ट त्रुटि है, तो ट्रिब्यूनल अपनी गलती को सुधारने में उचित होगा। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले को रद्द कर दिया जाता है और करदाता द्वारा दायर सुधार आवेदन की अनुमति देने वाले ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश को बहाल कर दिया जाता है। {पैरा 13 और 14}{559-जी, 560-ए, बी, सी, डी, ई}

सीआईटी बनाम वुडवर्ड गवर्नर इंडिया (पी) लिमिटेड, (2007) 162, टैक्समैन 60, संदर्भित।

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: 2007 की सिविल अपील संख्या 5412

नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय, आई.टी.ए क्रमांक 735/2004 दिनांकित 11.10.2006 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से कविता झा और संदीप एस. कामेल प्रतिवादियों की ओर से पी.पी. मल्होत्रा, आई. अहमद, के.के. त्यागी, पी. नरसिम्हन और नीरा गुसा।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया कि कपाडिया, जे. इस विशेष अनुमति याचिका में अनुमति प्रदान की गई।

2. निर्धारिती द्वारा दायर इस सिविल अपील में हिरासत के लिए उठने वाला एक संक्षिप्त प्रश्न आयकर अधिनियम, 1961 (“1961 अधिनियम”) की धारा 154 के आवेदन से संबंधित है, जो किसी भी आयकर प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड से स्पष्ट किसी भी गलती के सुधार का प्रावधान करता है। इस स्तर पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि शब्द “रिकॉर्ड से स्पष्ट किसी भी गलती का सुधार” उक्त 1961 अधिनियम की धारा 254 (2) में जगह पाते हैं।

554 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (2007) 12 एस.सी.आर.

तथ्य इस प्रकार हैं:

3. निर्धारिती कंपनी होंडा मोटर कंपनी, जापान के साथ तकनीकी सहयोग से पोर्टेबल जनरेटर सेट के निर्माण में लगी हुई है। इस सिविल अपील में, हमारा संबंध निर्धारण वर्ष 1991-92 से है। दिनांक 30.12.1991 को निर्धारिती द्वारा शून्य आय घोषित करते हुए आय का रिटर्न दाखिल किया गया था। प्रासंगिक वर्ष के दौरान, निर्धारिती ने मशीनरी के आयात के लिए विदेशी मुद्रा में सावधि ऋण लिया था। विदेशी विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण, 7,10,910 रुपये के संदर्भ में ऋण चुकाने की निर्धारिती की देनदारी रुपये तक बढ़ गई। धारा 43 ए के प्रावधानों का हवाला देकर, निर्धारिती ने डब्ल्यू.डी.वी. का आंकड़ा बढ़ाया। परिसंपत्तियों के ब्लॉक का (लिखित मूल्य) और तदनुसार मूल्यहास का दावा किया गया। ए.ओ. इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वास्तविक लागत में इस तरह का संशोधन स्वीकार्य नहीं था क्योंकि धारा 43 ए मशीनरी की खरीद के लिए उपयोग किए गए अवैतनिक ऋणों की देयता में वृद्धि या कमी के कारण मशीनरी की वास्तविक लागत के समायोजन को संदर्भित करता है।

4. उक्त निर्णय से व्यथित होकर, मामले को सीआईटी (ए) के समक्ष निर्धारिती द्वारा अपील में ले जाया गया, जिसने यह विचार किया कि निर्धारिती का दावा इस

तथ्य के मद्देनजर स्वीकार्य था कि पिछले वर्ष में निर्धारण वर्ष 1991-92 में निर्धारिती को बढ़ा हुआ मूल्यह्रास दिया गया।

5. इसलिए, इस पहलू पर, विभाग ने दोनों मूल्यांकन वर्षों 1990-91 और 1991-92 के लिए मामले को I.T.A.T (ट्रिब्यूनल) में अपील की। दिनांक 2.4.2002 के निर्णय और आदेश द्वारा ट्रिब्यूनल ने माना कि सीआईटी (ए) ने धारा 43 ए के तहत बढ़े हुए मूल्यह्रास की अनुमति देकर गलती की थी, क्योंकि धारा 43 ए के तहत वास्तविक भुगतान उस धारा के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक शर्त थी। ट्रिब्यूनल के अनुसार, यदि उतार-चढ़ाव के बाद वास्तविक भुगतान नहीं किया गया था, तो उतार-चढ़ाव के कारण वृद्धि जोड़कर परिसंपत्ति का मूल्य नहीं बढ़ाया जा सकता है। तथ्यों पर, ट्रिब्यूनल ने पाया कि, वर्तमान मामले में, उतार-चढ़ाव के बाद कोई वास्तविक भुगतान नहीं हुआ था और इसलिए, निर्धारिती धारा 43 ए के तहत लाभ का दावा करने का हकदार नहीं था।

6. दिनांक 9.12.2002 को, निर्धारिती ने आदेश दिनांक 2.4.2002 से स्पष्ट गलती के सुधार के लिए ट्रिब्यूनल का रुख किया। वह आवेदन धारा 254(2) के तहत किया गया था जो इस प्रकार है:

“आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष: दिल्ली बेंच माननीय “ए” पीठ (माननीय उपराष्ट्रपति आर.एम. मेहता एवं श्री. माननीय श्री. वाई.के.कपूर) हॉंडा एस. आई. एल. पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम आय कर आयुक्त, दिल्ली मामला: एमआईएस श्रीराम हॉंडा पावर इक्विपमेंट्स लिमिटेड आईटीए नोस. 5413 एवं 5414/डी/96(ए) 5544 एवं 5545/डी/96(डी)

मूल्यांकन वर्ष : 1990-91 और 1991-92

विषय: दिनांक 2.4.2002 के आदेश में गलती के सुधार के लिए धारा 254(2) के तहत आवेदन।

1. उपरोक्त आदेश के अनुसार, निर्धारण वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए क्रॉस अपीलों का निपटारा किया गया। उपरोक्त अपीलों पर दिनांक 4.2.2002 को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद, माननीय पीठ ने अनुरोध पर, निर्धारिती को मूल्यांकन वर्ष 1991-92 के लिए क्रॉस अपील के संबंध में लिखित प्रस्तुतियाँ दायर करने की अनुमति दी। प्रस्तुतियाँ 7.2.2002 को विधिवत दायर की गईं। माननीय न्यायाधिकरण द्वारा 2.4.2002 को आदेश पारित किया गया था।

2. निर्धारण वर्ष 1990-91 के लिए विभागीय अपील का आधार क्रमांक 2 (आईटीए क्रमांक 5544/D/96 ) और निर्धारण वर्ष 1991-92 के लिए विभागीय अपील का आधार क्रमांक 3 (आईटीए क्रमांक 5544/D/96 ) विनिमय दर में उतार-चढ़ाव पर मूल्यहास की अनुमति के विरुद्ध थे , जिसका भुगतान निर्धारिती द्वारा नहीं किया गया था। यह मुद्दा सीआईटी (ए) द्वारा सैमटेल कलर लिमिटेड के मामले में उनके आदेश पर भरोसा करते हुए निर्धारिती के पक्ष में तय किया गया था। यह सुनवाई के दौरान और लिखित प्रस्तावों में भी प्रस्तुत किया गया था कि सैमटेल कलर के मामले में विभागीय अपील लिमिटेड का फैसला ट्रिब्यूनल की 'ई' बेंच ने दिनांक 10.12.2001 के आदेश के तहत किया था, जिसमें सीआईटी (ए) के दृष्टिकोण को बरकरार रखा गया था। आदेश की एक प्रति पेपर बुक के पृष्ठ 48 से 52 पर रखी गई थी।

2.1. यह कि, निर्धारिती के खिलाफ उपरोक्त आधार पर निर्णय लेने में, माननीय पीठ ने अनजाने में सैमटेल कलर लिमिटेड के निर्णय का उल्लेख नहीं किया है। चूंकि, ट्रिब्यूनल की समन्वय पीठ के आदेश पर भरोसा नहीं किया गया था, और एक और गठन में उस पर विचार नहीं किया गया था और वह एक अलग दृष्टिकोण बना रहा है।

ट्रिब्यूनल की विभिन्न पीठों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में अंतर नहीं किया गया था, इसलिए रिकॉर्ड से एक गलती स्पष्ट सामने आई है। दो विचारों के बीच अंतर को सुलझाने के लिए विशेष पीठ को भेजे बिना इस मुद्दे का निर्णय नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में सुंदरजस कन्हैयालाल भाटिजा और अन्य बनाम कलेक्टर ठाणे, महाराष्ट्र एवं अन्य, 183 आईटीआर 130 (एससी) एवं यूओआई बनाम पारस लैमिनेट्स प्रा. लिमिटेड, 186 आईटीआर 722 (एससी) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है। अतः निवेदन है कि आदेश में सुधार किया जा सकता है।

3. मूल्यांकन वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए क्रमशः आधार संख्या 3 और 2 के अंतर्गत आने वाले नियम 6 डी के तहत अस्वीकृति का निर्णय इस कारण से लिया गया था कि नीचे दिए गए अधिकारियों के समक्ष अपेक्षित विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए थे। निर्धारण वर्ष 554 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (2007) 12 एस.सी.आर. 1991-92 के संबंध में नियम 6 डी के अंतर्गत अस्वीकार्य राशि का विवरण सीआईटी (ए) के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया गया था। ये कागजात इस माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर पेपर बुक के पृष्ठ 5 से 26 पर दायर किए गए थे। पृष्ठ 5 से 7 पर कागजात जिसमें नियम 6 डी के तहत अस्वीकृति का कामकाजी विवरण शामिल था, निर्धारण अधिकारी के समक्ष दायर किया गया था। इसी प्रकार पृष्ठ 8 से 12 तक के कागजात पेशेवर शुल्क का विवरण हैं और इसे निर्धारण अधिकारी के समक्ष भी दायर किया गया था। प्रत्येक व्यय के संदर्भ में स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किया गया। माननीय पीठ ने इस मुद्दे पर निर्णय लेते समय अनजाने में प्रस्तुत प्रस्तुतीकरण पर विचार नहीं किया और इस तरह एक गलती हो गई।

4. आकलन वर्ष 1991-92 के लिए अपील का ग्राउंड नंबर 4 जो रुपये की अस्वीकृति के खिलाफ था। बिक्री सम्मेलन व्यय में से 16,011/- का निपटान नहीं किया गया है।

ऊपर स्पष्ट की गई तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि आदेश को तदनुसार संशोधित किया जा सकता है।

आपका विश्वासी

श्रीराम होंडा पावर इक्विपमेंट्स लिमिटेड के लिए

एसडी/-

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

दिनांक: 9.12.2002

7. सुधार आवेदन में, निर्धारिती ने DCIT, Spl. Range 5 , New Delhi vs Samtel color Ltd. के मामले में ट्रिब्यूनल की समन्वय पीठ के दिनांक 10.12.2001 के पहले के फैसले की ओर इशारा किया। जिसमें यह माना गया था कि विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण परिसंपत्ति की लागत में अनुमानित वृद्धि पर भी मूल्यह्रास में वृद्धि स्वीकार्य थी और इस तथ्य के बावजूद कि उक्त उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप अतिरिक्त देयता का भुगतान निर्धारिती द्वारा नहीं किया गया था। यह माना गया कि धारा 43(2) में "भुगतान" शब्द का अर्थ लेखांकन पद्धति के अनुसार वास्तव में भुगतान की गई या खर्च की गई राशि है। इस संबंध में, ट्रिब्यूनल द्वारा सीबीडीटी का 5-पी दिनांक 9.10.1967 परिपत्र संख्या पर भी भरोसा किया गया था।

8. वर्तमान मामले में, ट्रिब्यूनल ने दिनांक 10.9.2003 के आदेश के तहत, निर्धारिती द्वारा दायर सुधार आवेदन को यह कहते हुए अनुमति दे दी कि सैमटेल कलर लिमिटेड (सुप्रा) में समन्वय पीठ के फैसले ने उसका ध्यान आकर्षित नहीं किया है।

9. दिनांक 1.0.9.2003 के आदेश के विरुद्ध, विभाग ने मामले को आईटी ए संख्या 735/04 के माध्यम से उच्च न्यायालय में अपील की। दिनांक 11.1.2006 के आक्षेपित निर्णय हॉडा एस. आई. एल. पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम आय कर आयुक्त, दिल्ली द्वारा, उच्च न्यायालय अपने पहले के निर्णयों पर भरोसा करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किसी भी गलती को सुधारने की शक्ति उस आदेश की समीक्षा करने या उसे वापस लेने की शक्ति के बराबर नहीं है जिसे सुधारने की मांग की गई है। आक्षेपित निर्णय से, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सुधार की आड़ में दिनांक 0.9.2003 के आदेश के तहत, ट्रिब्यूनल ने, वास्तव में, अपने पहले के आदेश की समीक्षा की थी जो धारा 254(2) के दायरे से बाहर था। इसलिए, यह अपील 1961 अधिनियम और, परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के दिनांक 10.9.2003 के आदेश को रद्द कर दिया।

दूसरी ओर:

10. घटनाओं के कालक्रम को पूरा करने के लिए, हम बता सकते हैं कि सीआईटी बनाम वुडवर्ड गवर्नर इंडिया (पी) लिमिटेड के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा धारा 43 ए तहत, (2007) 162 टैक्समैन 60 में दिनांक 30.4.2007 को दिया गया था। 43 ए, जैसा कि 1.4.2003 से पहले सुनाया जाना था। उक्त निर्णय के द्वारा, यह माना गया कि धारा 43 ए संभावित थी और स्पष्टीकरणात्मक नहीं थी जैसा कि विभाग ने तर्क दिया था। आगे यह माना गया कि ऐसे मामलों में जहां निर्धारिती ने 1961 अधिनियम की धारा 145 के संदर्भ में लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली का पालन किया था, निर्धारिती इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों का पालन करने के लिए बाध्य था। . आगे यह माना गया कि, लेखांकन मानकों के तहत, दायित्व उस वर्ष में संशोधित किया गया था जिसमें निर्धारिती के व्यवसाय के संबंध में मामलों की सही स्थिति को

प्रतिबिंबित करने के लिए विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव हुआ था और तदनुसार, शब्द "भुगतान" किया गया था। धारा 43(2) को लेखांकन मानकों के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। आगे यह माना गया कि कंपनी अधिनियम की धारा 209(3) के तहत, कंपनियों के लिए केवल संचय के आधार पर खाते रखना अनिवार्य था।

11. यह बताना पर्याप्त है कि, वुडवर्ड गवर्नर इंडिया (पी) लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त फैसले के मद्देनजर, सैमटेल में धारा 43 ए पर ट्रिब्यूनल की समन्वय पीठ का दृष्टिकोण कलर लिमिटेड (सुप्रा) संतुष्ट खड़ा था। हम वुडवर्ड गवर्नर (सुप्रा) में उच्च न्यायालय के फैसले पर कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहते हैं, सिवाय इसके कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की समन्वित पीठ के फैसले की पुष्टि की गई है कि सुधार आवेदन पर निर्णय लेने में कौन सी परिस्थिति प्रासंगिक है। सुधार की शक्ति का दायरा

12. जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस मामले में हम 1961 अधिनियम की धारा 254(2) के तहत आवेदन से चिंतित हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, अभिव्यक्ति "रिकॉर्ड से गलती का सुधार" धारा 154 में होती है। इसे धारा 254(2) में भी जगह मिलती है। धारा 254(2) को लागू करने के पीछे का उद्देश्य मूल सिद्धांत पर आधारित है कि ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित होने वाले किसी भी पक्ष को, चाहे वह निर्धारित हो या विभाग, ट्रिब्यूनल द्वारा की गई किसी भी गलती के कारण पीड़ित नहीं होना चाहिए। इस मौलिक सिद्धांत का ट्रिब्यूनल की अंतर्निहित 554 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (2007) 12 एस.सी.आर. शक्तियों से कोई लेना-देना नहीं है। वर्तमान मामले में, ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश दिनांक 10.9.2003 में सुधार आवेदन को अनुमति देते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि करदाता द्वारा उसके समक्ष सैमटेल कलर लिमिटेड (सुप्रा) का हवाला दिया गया था, लेकिन गलती से वह उक्त निर्णय को खारिज करते समय चूक गया था, जबकि करदाता द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया गया। धारा 43 ए के तहत बड़े हुए मूल्यहास

के लिए निर्धारित के दावे की स्वीकार्यताध्/स्वीकार्यता के प्रश्न पर निर्धारित द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया। ट्रिब्यूनल को सुधार की शक्ति देने का एक महत्वपूर्ण कारण यह देखना है कि रिकॉर्ड से स्पष्ट गलती के आधार पर उसके निर्णय से उसके समक्ष उपस्थित होने वाले किसी भी पक्ष पर कोई पूर्वाग्रह न हो।

13. “मिसाल का नियम” कानून के शासन में कानूनी निश्चितता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उस सिद्धांत को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 254(2) द्वारा समाप्त नहीं किया गया है। जब ट्रिब्यूनल की गलती, त्रुटि या चूक के कारण किसी आदेश से पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है, तो इसे ठीक करना ट्रिब्यूनल का कर्तव्य है। गलत कॉम के लिए अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पीड़ित पक्ष को प्रायश्चित करना।” इसका समीक्षा करने की अंतर्निहित शक्ति की अवधारणा से कोई लेना-देना नहीं है। वर्तमान मामले में, ट्रिब्यूनल को धारा 254(2) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करना उचित था जब ट्रिब्यूनल को बताया गया कि समन्वय पीठ का निर्णय ट्रिब्यूनल के समक्ष तब रखा गया था जब मूल आदेश पारित किया गया था लेकिन इसने उस सामग्री पर विचार न करके गलती की थी जो पहले से ही रिकॉर्ड में थी। ट्रिब्यूनल ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और तदनुसार अपने आदेश में सुधार कर लिया है। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय का उक्त आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था। हम अंतर्निहित शक्ति के सिद्धांत या अवधारणा पर नहीं चल रहे हैं। हम बस इस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं कि यदि पार्टी के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है, तो कौन सा पूर्वाग्रह ट्रिब्यूनल की गलती, त्रुटि या चूक के कारण है और कौन सी त्रुटि एक स्पष्ट त्रुटि है, तो वर्तमान मामले में ट्रिब्यूनल अपनी गलती को सुधारने में उचित होगा, जो कि किया गया था।  
निष्कर्ष:

14. उपरोक्त कारणों से, उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले को रद्द कर दिया गया है और करदाता द्वारा दायर सुधार आवेदन की अनुमति देने वाले ट्रिब्यूनल द्वारा

पारित आदेश को बहाल किया गया है। परिणामस्वरूप, लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील स्वीकार की जाती है।

एन.जे.

अपील की अनुमति स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मोहित चायल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।